2023/29

APP-1
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,बालोतरा बमुकाम बालोतरा

रावताराम व अन्य बनाम तहसीलदार बायतु व अन्य

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अधि. 1955 नं. 21 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-4-23	अपीलान्टगण के वकील श्री नरपत पूनड़ उपस्थित। अपीलान्टगण की ओर से यह अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तहसीलदार बायतु द्वारा पारित आदेश क्रमांक / राजस्व / 2015 / 89 दिनांक 03.06.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपीलान्टगण की अपील मियाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हों। उतरदातागण जरिये नोटिस तलब हों एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी उतरदाता, मौका रिपोर्ट एवं अपीलाधीन अभिलेख आईदा दिनांक 02/8/23 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	
13/7/2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट स्वय एंव उनके अधिवक्ता उप.। उत्तरदातागण 2 से 5 उप.। अपीलांट अधि. व उतरदाता सं. 2 से 5 द्वारा शीघ्र सुनवाई बाबत् प्रार्थना पत्र मय राजीनामा पेश जो मिशल शामिल हो। अपीलांट स्वयं रावताराम एव उतरदातागण सं 2 से 5 उप.। निवेदन किया गया कि उनके खेतों का सहमती विभाजन तहसीलदार बायतू द्वारा किया गया था जिसकी तरमीम करने पर अपीलांट व उतरदाता सं 2 से 5 के रहवासी ढाणिया, टांके इत्यादी प्रभावित है इसलिए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार पुन: बटवाडा किया जावें अपीलांट व उतरदातागण की सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफतर हो अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	रावताराम अ.नि. भूनाराम अ.नि. दाऊराम अ.नि. ढगाराम नेनाराम